



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08102024-257759
CG-DL-E-08102024-257759

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 570]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 8, 2024/आश्विन 16, 1946

No. 570]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 8, 2024/ASVINA 16, 1946

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 2024

संख्या 07/2024-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 617(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप-धारा (1), उप-धारा (3) और (4), धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 15 की उप-धारा (5), धारा 16 की उप-धारा (1) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 690 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

1. उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 8 के समक्ष,-

- (i) मद (ivक) और कॉलम (3), (4) तथा (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित मद और कॉलम (3), (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियां को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(3)	(4)	(5)
“(ivख) हेलीकाप्टर द्वारा सीट शेयरिंग के आधार पर सामान के साथ या उसके बिना यात्रियों का परिवहन ।	2.5	बशर्ते सेवा की पूर्ति करने में प्रयुक्त माल पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है । [कृपया स्पष्टीकरण पैरा 4 की संख्या (iv) का संदर्भ लें/देखें]।”

- (ii) कॉलम (3) में, मद (vii) में, कोष्ठक और अंक “(ivक),” के पश्चात कोष्ठक और अंक “(ivख),” अंतःस्थापित किया जाएगा ।

2. यह अधिसूचना दिनांक 10 अक्टूबर, 2024 से लागू होगी ।

[फा. सं. 190354/149/2024-टीओ (टीआरयू-II) पार्ट-I सीबीईसी]

दिलमिल सिंह सोच, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 11/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 690 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 12/2023-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 19 अक्टूबर, 2023, जिसे सा.का.नि. 759 (अ), दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th October, 2024

No. 07/2024-Central Tax (Rate)

G.S.R. 617(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1), sub-sections (3) and (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15, sub-section (1) of section 16 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), number 11/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), *vide* number G.S.R. 690(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

1. In the said notification, in the Table, against serial number 8,

- (i) after item (iva) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following item and entries relating thereto in columns (3), (4) and (5) shall be inserted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(ivb) Transportation of passengers, with or without accompanied baggage, by air, in a helicopter on seat share basis.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods used in supplying the service has not been taken.

		[Please refer to clause (iv) of paragraph 4 relating to Explanation].”
--	--	--

- (ii) in column (3), in item (vii), after the brackets and figures “(iva),”, the brackets and figures “(ivb),” shall be inserted.

2. This notification shall come into force with effect from the 10th day of October, 2024.

[F. No. 190354/149/2024-TO(TRU-II) – Part-I CBEC]

DILMIL SINGH SOACH, Under Secy.

Note: - The principal notification number 11/2017 -Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 690 (E), dated the 28th June, 2017 and last amended vide notification number 12/2023-Central Tax (Rate), dated the 19th October, 2023, published in the Gazette of India vide number G.S.R. 759(E), dated the 19th October, 2023.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 2024

संख्या 07/2024-संघ राज्य कर (दर)

सा.का.नि. 618(अ).— केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप धारा (5), धारा 16 की उप धारा (1) और धारा 148 के साथ पठित संघ राज्य माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उप धारा (1), (3) और (4), धारा 8 की उप धारा (1) और धारा 21 के उपवाक्य (iv), (v) और (xxvii) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2017-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 702 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

1. उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 8 के समक्ष,-

- (i) मद (ivक) और कॉलम (3), (4) तथा (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित मद और कॉलम (3), (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियां को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(3)	(4)	(5)
“(ivख) हेलीकाप्टर द्वारा सीट शेयरिंग के आधार पर सामान के साथ या उसके बिना यात्रियों का परिवहन।	2.5	बशर्ते सेवा की पूर्ति करने में प्रयुक्त माल पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है। [कृपया स्पष्टीकरण पैरा 4 की संख्या (iv) का संदर्भ लें/देखें]।”

- (ii) कॉलम (3) में, मद (vii) में, कोष्ठक और अंक “(ivक),” के पश्चात कोष्ठक और अंक “(ivख),” अंतःस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना दिनांक 10 अक्टूबर, 2024 से लागू होगी।

[फा. सं. 190354/149/2024-टीओ (टीआरयू-II) पार्ट-I सीबीईसी]

दिलमिल सिंह सोच, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 11/2017-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 702 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 12/2023-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 19 अक्टूबर, 2023, सा.का.नि. 761 (अ), दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th October, 2024

No. 07/2024- Union Territory Tax (Rate)

G.S.R. 618(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (3) and (4) of section 7, sub-section (1) of section 8, clause (iv), clause (v) and clause (xxvii) of section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), read with sub-section (5) of section 15, sub-section (1) of section 16 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.11/2017-Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 702(E), dated the 28th June, 2017, namely: -

1. In the said notification, in the Table, against serial number 8,

- (i) after item (iva) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following item and entries relating thereto in columns (3), (4) and (5) shall be inserted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(ivb) Transportation of passengers, with or without accompanied baggage, by air, in a helicopter on seat share basis.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods used in supplying the service has not been taken. [Please refer to clause (iv) of paragraph 4 relating to Explanation].”.

- (ii) in column (3), in item (vii), after the brackets and figures “(iva),”, the brackets and figures “(ivb),” shall be inserted.

2. This notification shall come into force with effect from the 10th day of October, 2024.

[F. No. 190354/149/2024-TO(TRU-II) – Part-I CBEC]

DILMIL SINGH SOACH, Under Secy.

Note: - The principal notification number 11/2017 -Union Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 702 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended vide notification number 12/2023-Union Tax (Rate), dated the 19th October, 2023 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 761(E), dated the 19th October, 2023.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 2024

संख्या 07/2024-एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 619(अ).— केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप धारा (5), धारा 16 की उप धारा (1) और धारा 148 के साथ पठित एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप धारा (1), (3) और उप धारा (4), धारा 6 की उप धारा (1) और धारा 20 के उपवाक्य (iii), (iv) और (xxv) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 08/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 683 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

1. उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 8 के समक्ष,-

(i) मद (ivक) और कॉलम (3), (4) तथा (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित मद और कॉलम (3), (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियां को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(3)	(4)	(5)
“(ivख) हेलीकाप्टर द्वारा सीट शेयरिंग के आधार पर सामान के साथ या उसके बिना यात्रियों का परिवहन ।	5	बशर्ते सेवा की पूर्ति करने में प्रयुक्त माल पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है । [कृपया स्पष्टीकरण पैरा 5 की संख्या (iv) का संदर्भ लें/देखें]।”

(ii) कॉलम (3) में, मद (vii) में, कोष्ठक और अंक “(ivक),” के पश्चात कोष्ठक और अंक “(ivख),” अंतःस्थापित किया जाएगा ।

2. यह अधिसूचना दिनांक 10 अक्टूबर, 2024 से लागू होगी ।

[फा. सं. 190354/149/2024-टीओ (टीआरयू-II) पार्ट-I सीबीईसी]

दिलमिल सिंह सोच, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 08/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 683 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 15/2023-एकीकृत कर (दर), दिनांक 19 अक्टूबर, 2023, सा.का.नि. 760 (अ), दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 के तहत सरकारी राजपत्र में प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th October, 2024

No. 07/2024-Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 619(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (3) and (4) of section 5, subsection (1) of section 6 and clauses (iii), (iv) and (xxv) of section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), read with sub-section (5) of section 15, sub-section (1) of section 16 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 8/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 683(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

1. In the said notification, in the Table, against serial number 8,

- (i) after item (iva) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following item and entries relating thereto in columns (3), (4) and (5) shall be inserted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(ivb) Transportation of passengers, with or without accompanied baggage, by air, in a helicopter on seat share basis.	5	Provided that credit of input tax charged on goods used in supplying the service has not been taken. [Please refer to clause (iv) of paragraph 5 relating to Explanation].”

- (ii) in column (3), in item (vii), after the brackets and figures “(iva),”, the brackets and figures “(ivb),” shall be inserted.

2. This notification shall come into force with effect from the 10th day of October, 2024.

[F. No. 190354/149/2024-TO(TRU-II) – Part-I CBEC]

DILMIL SINGH SOACH, Under Secy.

Note: - The principal notification no. 8/2017 - Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 683 (E), dated the 28th June, 2017 and last amended *vide* notification no. 15/2023- Integrated Tax (Rate), dated the 19th October, 2023 published in the official gazette vide number G.S.R. 760(E), dated the 19th October, 2023.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 2024

संख्या 08/2024-केंद्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 620(अ).— केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप-धारा (3) और उप-धारा (4), धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 15 की उप-धारा (5) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 12/2017- केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 691(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

1. उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

(क) क्रम संख्या 25 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात् कॉलम (2), (3) (4) और (5) में निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"25क	शीर्षक 9969 या शीर्षक 9986	मीटरिंग उपकरण किराए पर उपलब्ध कराने, मीटरों/ट्रांसफार्मरों/कैपेसिटरों आदि का परीक्षण करने, बिजली कनेक्शन जारी करने, मीटरों/सेवा लाइनों को स्थानांतरित करने, डुप्लिकेट बिल जारी करने आदि की ऐसी सेवाओं की आपूर्ति, जो बिजली पारेषण और वितरण उपयोगिताओं द्वारा अपने उपभोक्ताओं को प्रदान की जाने वाली बिजली पारेषण और वितरण की आपूर्ति के लिए प्रासंगिक या सहायक हैं।	शून्य	शून्य

(ख) क्रम संख्या 44 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात् कॉलम (2), (3) (4) और (5) में निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"44क	शीर्षक 9981	अनुदान के रूप में प्राप्त प्रतिफल के विरुद्ध अनुसंधान एवं विकास सेवाओं की निम्नलिखित द्वारा आपूर्ति- (क) कोई सरकारी निकाय; या (ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (ii) या (iii) के अंतर्गत अधिसूचित अनुसंधान संगठन, विश्वविद्यालय, कॉलेज या अन्य संस्थान।	शून्य	बशर्ते कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (ii) या (iii) के अंतर्गत अधिसूचित अनुसंधान संगठन, विश्वविद्यालय, कॉलेज या अन्य संस्थान, अनुसंधान और विकास सेवा की आपूर्ति के समय इस प्रकार अधिसूचित है।"

(ग) क्रम संख्या 66 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात् कॉलम (2), (3) (4) और (5) में निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"66क	शीर्षक 9992	केन्द्रीय या राज्य शैक्षणिक बोर्ड या परिषद या किसी अन्य समान निकाय, जो चाहे किसी भी नाम से जाना जाये, के द्वारा केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी	शून्य	शून्य

	प्राधिकरण या सरकारी निकाय द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित विद्यालय को प्रदान की गई संबद्धता सेवाएं।		
--	---	--	--

(घ) क्रम संख्या 69 के कॉलम (2), (3), (4) और (5) में तत्संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"69	शीर्षक 9983 या शीर्षक 9991 या शीर्षक 9992	निम्नलिखित द्वारा प्रदान की गई कोई भी सेवाएं— (क) भारत सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय कौशल विकास निगम; (ख) राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद; (ग) राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त अवार्डिंग निकाय; (घ) राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त आकलन एजेंसी; (ङ) प्रशिक्षण निकाय, जो राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त अवार्डिंग निकाय के साथ प्रत्यातित हो, निम्नलिखित के संबंध में- (i) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम या कोई अन्य स्कीम; या (ii) राष्ट्रीय कौशल प्रमाणन और मौद्रिक पुरस्कार स्कीम के अधीन कोई व्यावसायिक कौशल विकास पाठ्यक्रम; या (iii) राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे से संबद्ध कोई भी अर्हता या कौशल, जिसके संबंध में राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद ने अर्हता पैकेज को अनुमोदित किया हो	शून्य	शून्य

(ङ) क्रम संख्या 71 के समक्ष, कॉलम (3) में, "राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद" शब्दों के स्थान पर, "राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) उक्त अधिसूचना के पैराग्राफ 2 में,

(क) मद (ज) में,

- (क) उप-मद (i) में, “राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद” शब्दों के स्थान पर, “राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (ख) उप-मद (ii) में, “राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद” शब्दों के स्थान पर, “राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना दिनांक 10 अक्टूबर, 2024 से लागू होगी।

[फा. सं. 190354/149/2024-टीओ (टीआरयू-II) पार्ट-I सीबीईसी]

दिलमिल सिंह सोच, अवर सचिव

नोट: मूल अधिसूचना संख्या 12/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 जिसे सा.का.नि. 691(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 04/2024-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 12 जुलाई, 2024, जिसे सा.का.नि. 388(अ), दिनांक 12 जुलाई, 2024 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th October, 2024

No. 08/2024- Central Tax (Rate)

G.S.R. 620(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment further to amend the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), number 12/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 691(E), dated the 28th June, 2017, namely:—

1. (i) In the said notification, in the Table, -

(A) after serial number 25 and the entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto in columns (2), (3), (4) and (5) shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“25A	Heading 9969 or Heading 9986	Supply of services by way of providing metering equipment on rent, testing for meters/transformers/capacitors etc., releasing electricity connection, shifting of meters/service lines, issuing duplicate bills etc., which are incidental or ancillary to the supply of transmission and distribution of electricity provided by electricity transmission and distribution utilities to their consumers.	Nil	Nil”

(B) after serial number 44 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto in columns (2), (3), (4) and (5) shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"44A	Heading 9981	Research and development services against consideration received in the form of grants supplied by – (a) a Government Entity; or (b) a research association, university, college or other institution, notified under clauses (ii) or (iii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961.	Nil	Provided that the research association, university, college or other institution, notified under clauses (ii) or (iii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 is so notified at the time of supply of the research and development service."

(C) after serial number 66 and the entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto in columns (2), (3), (4) and (5) shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"66A	Heading 9992	Services of affiliation provided by a Central or State Educational Board or Council or any other similar body, by whatever name called, to a school established, owned or controlled by the Central Government, State Government, Union Territory, local authority, Governmental authority or Government entity.	Nil	Nil"

(D) for serial number 69 and the entries relating thereto in columns (2), (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"69	Heading 9983 or Heading 9991 or Heading 9992	Any services provided by – (a) the National Skill Development Corporation set up by the Government of India; (b) the National Council for Vocational Education and Training; (c) an Awarding Body recognized by the National Council for Vocational Education and Training; (d) an Assessment Agency recognized by the National Council for Vocational Education and Training; (e) a Training Body accredited with an Awarding Body that is recognized by the National Council for Vocational Education and Training, in relation to- (i) the National Skill Development Programme or any other scheme implemented by the National Skill Development Corporation; or	Nil	Nil"

		(ii) a vocational skill development course under the National Skill Certification and Monetary Reward Scheme; or (iii) any National Skill Qualification Framework aligned qualification or skill in respect of which the National Council for Vocational Education and Training has approved a qualification package.		
--	--	--	--	--

(E) against serial number 71, in column (3), for the words “National Council for Vocational Training”, the words “National Council for Vocational Education and Training” shall be substituted.

(ii) in paragraph 2 of the said notification,

(A) in item (h), -

(a) in sub-item (i), for the words “National Council for Vocational Training”, the words “National Council for Vocational Education and Training” shall be substituted.

(b) in sub-item (ii), for the words “National Council for Vocational Training”, the words “National Council for Vocational Education and Training” shall be substituted.

2. This notification shall come into force with effect from the 10th day of October, 2024.

[F. No. 190354/149/2024-TO(TRU-II) – Part-I CBEC]

DILMIL SINGH SOACH, Under Secy.

Note: - The principal notification number 12/2017 - Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 691 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended vide notification number 04/2024-Central Tax (Rate), dated 12th July, 2024, published in the Gazette of India vide number G.S.R. 388(E), dated the 12th July, 2024.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 2024

संख्या 08/2024-संघ राज्य कर (दर)

सा.का.नि. 621(अ).— केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप धारा (5) और धारा 148 के साथ पठित, संघ राज्य माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उप धारा (3) और (4), धारा 8 की उप धारा (1), धारा 21 के उपवाक्य (iv) और (xxvii) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 12/2017-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 703 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

1. उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

(क) क्रम संख्या 25 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात कॉलम (2), (3) (4) और (5) में निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएगी, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“25क	शीर्षक 9969 या शीर्षक 9986	मीटरिंग उपकरण किराए पर उपलब्ध कराने, मीटरों/ट्रांसफार्मरों/कैपेसिटरों आदि का परीक्षण करने, बिजली कनेक्शन जारी करने, मीटरों/सेवा लाइनों को स्थानांतरित करने, डुप्लिकेट बिल जारी करने आदि की ऐसी सेवाओं की आपूर्ति, जो बिजली पारेषण और वितरण उपयोगिताओं द्वारा अपने उपभोक्ताओं को प्रदान की जाने वाली बिजली पारेषण और वितरण की आपूर्ति के लिए प्रासंगिक या सहायक हैं।	शून्य	शून्य”

(ख) क्रम संख्या 44 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात् कॉलम (2), (3) (4) और (5) में निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“44क	शीर्षक 9981	अनुदान के रूप में प्राप्त प्रतिफल के विरुद्ध अनुसंधान एवं विकास सेवाओं की निम्नलिखित द्वारा आपूर्ति- (क) कोई सरकारी निकाय; या (ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (ii) या (iii) के अंतर्गत अधिसूचित अनुसंधान संगठन, विश्वविद्यालय, कॉलेज या अन्य संस्थान।	शून्य	बशर्ते कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (ii) या (iii) के अंतर्गत अधिसूचित अनुसंधान संगठन, विश्वविद्यालय, कॉलेज या अन्य संस्थान, अनुसंधान और विकास सेवा की आपूर्ति के समय इस प्रकार अधिसूचित है।”

(ग) क्रम संख्या 66 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात् कॉलम (2), (3) (4) और (5) में निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“66क	शीर्षक 9992	केन्द्रीय या राज्य शैक्षणिक बोर्ड या परिषद या किसी अन्य समान निकाय, जो चाहे किसी भी नाम से जाना जाये, के द्वारा केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण या सरकारी निकाय द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित विद्यालय को प्रदान की गई संबद्धता सेवाएं।	शून्य	शून्य”

(घ) क्रम संख्या 69 के कॉलम (2), (3), (4) और (5) में तत्संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“69	शीर्षक 9983 या शीर्षक 9991 या शीर्षक 9992	निम्नलिखित द्वारा प्रदान की गई कोई भी सेवाएं— (क) भारत सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय कौशल विकास निगम; (ख) राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद; (ग) राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त अवार्डिंग निकाय; (घ) राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त आकलन एजेंसी; (ङ) प्रशिक्षण निकाय, जो राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त अवार्डिंग निकाय के साथ प्रत्यातित हो, निम्नलिखित के संबंध में- (i) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम या कोई अन्य स्कीम; या (ii) राष्ट्रीय कौशल प्रमाणन और मौद्रिक पुरस्कार स्कीम के अधीन कोई व्यावसायिक कौशल विकास पाठ्यक्रम; या (iii) राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे से संबद्ध कोई भी अर्हता या कौशल, जिसके संबंध में राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद ने अर्हता पैकेज को अनुमोदित किया हो	शून्य	शून्य”

(ङ) क्रम संख्या 71 के समक्ष, कॉलम (3) में, “राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद” शब्दों के स्थान पर, “राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) उक्त अधिसूचना के पैराग्राफ 2 में,

(ख) मद (ज) में,

(क) उप-मद (i) में, “राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद” शब्दों के स्थान पर, “राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ख) उप-मद (ii) में, “राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद” शब्दों के स्थान पर, “राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना दिनांक 10 अक्टूबर, 2024 से लागू होगी।

[फा. सं. 190354/149/2024-टीओ (टीआरयू-II) पार्ट-I सीबीईसी]

दिलमिल सिंह सोच, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 12/2017-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 703 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 04/2024-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 12 जुलाई, 2024, सा.का.नि. 390(अ), दिनांक 12 जुलाई, 2024 के तहत सरकारी राजपत्र में प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th October, 2024

No. 08/2024-Union Territory Tax (Rate)

G.S.R. 621(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (4) of section 7, sub-section (1) of section 8 and clause (iv) and clause (xxvii) of section 21 of the Union territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), read with sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment further to amend the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.12/2017- Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 703 (E), dated the 28th June, 2017, namely: -

1. (i) In the said notification, in the Table, -

(A) after serial number 25 and the entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto in columns (2), (3), (4) and (5) shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“25A	Heading 9969 or Heading 9986	Supply of services by way of providing metering equipment on rent, testing for meters/ transformers/capacitors etc., releasing electricity connection, shifting of meters/service lines, issuing duplicate bills etc., which are incidental or ancillary to the supply of transmission and distribution of electricity provided by electricity transmission and distribution utilities to their consumers.	Nil	Nil”

(B) after serial number 44 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto in columns (2), (3), (4) and (5) shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“44A	Heading 9981	Research and development services against consideration received in the form of grants supplied by - (a) a Government Entity; or (b) a research association, university, college or other institution, notified	Nil	Provided that the research association, university, college or other institution, notified under clauses (ii) or (iii) of sub-section (1) of section

		under clauses (ii) or (iii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961.		35 of the Income Tax Act, 1961 is so notified at the time of supply of the research and development service.”
--	--	---	--	---

(C) after serial number 66 and the entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto in columns (2), (3), (4) and (5) shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“66A	Heading 9992	Services of affiliation provided by a Central or State Educational Board or Council or any other similar body, by whatever name called, to a school established, owned or controlled by the Central Government, State Government, Union Territory, local authority, Governmental authority or Government entity.	Nil	Nil”

(D) for serial number 69 and the entries relating thereto in columns (2), (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“69	Heading 9983 or Heading 9991 or Heading 9992	Any services provided by - (a) the National Skill Development Corporation set up by the Government of India; (b) the National Council for Vocational Education and Training; (c) an Awarding Body recognized by the National Council for Vocational Education and Training; (d) an Assessment Agency recognized by the National Council for Vocational Education and Training; (e) a Training Body accredited with an Awarding Body that is recognized by the National Council for Vocational Education and Training, in relation to- (i) the National Skill Development Programme or any other scheme implemented by the National Skill Development Corporation; or (ii) a vocational skill development course under the National Skill	Nil	Nil”

		Certification and Monetary Reward Scheme; or (iii) any National Skill Qualification Framework aligned qualification or skill in respect of which the National Council for Vocational Education and Training has approved a qualification package.		
--	--	--	--	--

(E) against serial number 71, in column (3), for the words “National Council for Vocational Training”, the words “National Council for Vocational Education and Training” shall be substituted.

(ii) in paragraph 2 of the said notification,

(A) in item (h), -

(a) in sub-item (i), for the words “National Council for Vocational Training”, the words “National Council for Vocational Education and Training” shall be substituted.

(b) in sub-item (ii), for the words “National Council for Vocational Training”, the words “National Council for Vocational Education and Training” shall be substituted.

2. This notification shall come into force with effect from the 10th day of October, 2024.

[F. No. 190354/149/2024-TO(TRU-II) – Part-I CBEC]

DILMIL SINGH SOACH, Under Secy.

Note: - The principal notification no. 12/2017 - Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 703 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended vide notification no. 04/2024 – Union Territory Tax (Rate), dated the 12th July, 2024 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 390(E), dated the 12th July, 2024.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 2024

संख्या 08/2024- एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 622(अ).— एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप-धारा (3) और उप-धारा (4), धारा 6 की उप-धारा (1) और धारा 20 के खंड (xxv) के साथ पठित केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप-धारा (5) और धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 9/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्या 684 (अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है: यथा:-

1. उक्त अधिसूचना में, सारणी में,

(क) क्रम संख्या 10ज और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"10ठ	अध्याय 99	<p>भारत में किसी विदेशी कंपनी के प्रतिष्ठान द्वारा, जो एयरलाइन कंपनी है, किसी संबंधित व्यक्ति से या भारत के बाहर उसके किसी अन्य प्रतिष्ठान से सेवाओं का आयात, जब बिना किसी प्रतिफल के किया जाता है।</p> <p><i>स्पष्टीकरण: विदेशी कंपनी का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 की उप-धारा (42) में दिया गया है।</i></p>	शून्य	<p>बशर्ते कि भारत में विदेशी एयरलाइन कंपनी की स्थापना द्वारा माल और यात्रियों के परिवहन पर लागू दरों पर जीएसटी का भुगतान किया जाता है।</p> <p>बशर्ते कि भारत में विदेशी कंपनी की स्थापना एक नामित एयर कैरियर/एयरलाइन कंपनी की हो, जिसे विदेशी सरकार द्वारा भारत के साथ लागू द्विपक्षीय हवाई सेवा समझौते के तहत नामित किया गया हो।</p> <p>बशर्ते कि पारस्परिक आधार पर, नामित भारतीय वाहक, विदेशी एयर कैरियर/एयरलाइन कंपनी को नामित करने वाले देश की सरकार द्वारा प्रविष्टि के अंतर्गत आने वाली समान सेवाओं के लिए कर लगाने के अधीन नहीं होंगे। "</p>

(ख) क्रम संख्या 26 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात् कॉलम (2), (3) (4) और (5) में निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“26क	शीर्षक 9969 या शीर्षक 9986	मीटरिंग उपकरण किराए पर उपलब्ध कराने, मीटरों/ट्रांसफार्मरों/कैपेसिटरों आदि का परीक्षण करने, बिजली कनेक्शन जारी करने, मीटरों/सेवा लाइनों को स्थानांतरित करने, डुप्लिकेट बिल जारी करने आदि की ऐसी सेवाओं की आपूर्ति, जो बिजली पारेषण और वितरण उपयोगिताओं द्वारा अपने उपभोक्ताओं को प्रदान की जाने वाली बिजली पारेषण और वितरण की आपूर्ति के लिए प्रासंगिक या सहायक हैं।	शून्य	शून्य”

(ग) क्रम संख्या 46 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात् कॉलम (2), (3) (4) और (5) में निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“46क	शीर्षक 9981	अनुदान के रूप में प्राप्त प्रतिफल के विरुद्ध अनुसंधान एवं विकास सेवाओं की निम्नलिखित द्वारा आपूर्ति- (क) कोई सरकारी निकाय; या (ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (ii) या (iii) के अंतर्गत अधिसूचित अनुसंधान संगठन, विश्वविद्यालय, कॉलेज या अन्य संस्थान।	शून्य	बशर्ते कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (ii) या (iii) के अंतर्गत अधिसूचित अनुसंधान संगठन, विश्वविद्यालय, कॉलेज या अन्य संस्थान, अनुसंधान और विकास सेवा की आपूर्ति के समय इस प्रकार अधिसूचित है।”

(घ) क्रम संख्या 69 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात् कॉलम (2), (3) (4) और (5) में निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“69क	शीर्षक 9992	केन्द्रीय या राज्य शैक्षणिक बोर्ड या परिषद या किसी अन्य समान निकाय, जो चाहे किसी भी नाम से जाना जाये, के द्वारा केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण या सरकारी निकाय द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित विद्यालय को प्रदान की गई संबद्धता सेवाएं।	शून्य	शून्य”

(ड.) क्रम संख्या 72 के कॉलम (2), (3), (4) और (5) में तत्संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"72	शीर्षक 9983 या शीर्षक 9991 या शीर्षक 9992	निम्नलिखित द्वारा प्रदान की गई कोई भी सेवाएं— (क) भारत सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय कौशल विकास निगम; (ख) राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद; (ग) राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त अवार्डिंग निकाय; (घ) राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त आकलन एजेंसी; (ङ) प्रशिक्षण निकाय, जो राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त अवार्डिंग निकाय के साथ प्रत्यातित हो, निम्नलिखित के संबंध में- (i) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम या कोई अन्य स्कीम; या (ii) राष्ट्रीय कौशल प्रमाणन और मौद्रिक पुरस्कार स्कीम के अधीन कोई व्यावसायिक कौशल विकास पाठ्यक्रम; या (iii) राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे से संबद्ध कोई भी अर्हता या कौशल, जिसके संबंध में राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद ने अर्हता पैकेज को अनुमोदित किया हो	शून्य	शून्य

(च) क्रम संख्या 74 के समक्ष, कॉलम (3) में, "राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद" शब्दों के स्थान पर, "राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) उक्त अधिसूचना के पैराग्राफ 2 में,

(ग) मद (ज) में,

(क) उप-मद (i) में, "राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद" शब्दों के स्थान पर, "राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ख) उप-मद (ii) में, “राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद” शब्दों के स्थान पर, “राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना दिनांक 10 अक्टूबर, 2024 से लागू होगी।

[फा. सं. 190354/149/2024-टीओ (टीआरयू-II) पार्ट-I सीबीईसी]

दिलमिल सिंह सोच, अवर सचिव

नोट: प्रधान मूल अधिसूचना संख्या 9/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. संख्या 684 (ई), दिनांक 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसे अंतिम बार अधिसूचना संख्या 04/2024- एकीकृत कर (दर), दिनांक 12 जुलाई, 2024 को सरकारी राजपत्र में सा.का.नि. संख्या 389 (ई), दिनांक 12 जुलाई, 2024 द्वारा संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th October, 2024

No. 08/2024- Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 622(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (4) of section 5, subsection (1) of section 6 and clause (xxv) of section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), read with sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) number 9/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 684 (E), dated the 28th June, 2017, namely:-

1. In the said notification, in the Table, -

(A) after serial number 10K and the entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“10L	Chapter 99	Import of services by an establishment of a foreign company in India, which is an airline company, from a related person or from any of its other establishments outside India, when made without consideration. <i>Explanation: Foreign company shall have the same meaning as assigned to it in sub-section (42) of section 2 of Companies Act, 2013 (18 of 2013).</i>	Nil	Provided that GST at applicable rates is paid by the establishment of the foreign airline company in India on transport of goods and passengers as may be applicable. Provided that Ministry of Civil Aviation certifies that the establishment of the foreign company in India is that of an airline company which has been designated by the foreign government under the applicable bilateral air services agreement with India.

				Provided further that, Ministry of Civil Aviation certifies that on a reciprocal basis, designated Indian airlines are not subject to levy of similar taxes by whatever name called for the same services appearing under the entry, by the Government of the country designating the foreign airline company.”;
--	--	--	--	--

(B) after serial number 26 and the entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto in columns (2), (3), (4) and (5) shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“26A	Heading 9969 or Heading 9986	Supply of services by way of providing metering equipment on rent, testing for meters/ transformers/capacitors etc., releasing electricity connection, shifting of meters/service lines, issuing duplicate bills etc., which are incidental or ancillary to the supply of transmission and distribution of electricity provided by electricity transmission and distribution utilities to their consumers.	Nil	Nil”

(C) after serial number 46 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto in columns (2), (3), (4) and (5) shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“46A	Heading 9981	Research and development services against consideration received in the form of grants supplied by - (a) a Government Entity; or (b) a research association, university, college or other institution, notified under clauses (ii) or (iii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961.	Nil	Provided that the research association, university, college or other institution, notified under clauses (ii) or (iii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 is so notified at the time of supply of the research and development service.”

(D) after serial number 69 and the entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto in columns (2), (3), (4) and (5) shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
69A	Heading 9992	Services of affiliation provided by a Central or State Educational Board or Council or any other similar body, by whatever name called, to a school established, owned or controlled by the Central Government, State Government, Union Territory, local authority, Governmental authority or Government entity.	Nil	Nil”

(E) for serial number 72 and the entries relating thereto in columns (2), (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"72"	Heading 9983 or Heading 9991 or Heading 9992	Any services provided by - <ul style="list-style-type: none"> (a) the National Skill Development Corporation set up by the Government of India; (b) the National Council for Vocational Education and Training; (c) an Awarding Body recognized by the National Council for Vocational Education and Training; (d) an Assessment Agency recognized by the National Council for Vocational Education and Training; (e) a Training Body accredited with an Awarding Body that is recognized by the National Council for Vocational Education and Training, in relation to- <ul style="list-style-type: none"> (i) the National Skill Development Programme or any other scheme implemented by the National Skill Development Corporation; or (ii) a vocational skill development course under the National Skill Certification and Monetary Reward Scheme; or (iii) any National Skill Qualification Framework aligned qualification or skill in respect of which the National Council for Vocational Education and Training has approved a qualification package. 	Nil	Nil"

(F) against serial number 74, in column (3), for the words "National Council for Vocational Training", the words "National Council for Vocational Education and Training" shall be substituted.

(ii) in paragraph 2 of the said notification,

(A) in item (h), -

(a) in sub-item (i), for the words "National Council for Vocational Training", the words "National Council for Vocational Education and Training" shall be substituted.

(b) in sub-item (ii), for the words “National Council for Vocational Training”, the words “National Council for Vocational Education and Training” shall be substituted.

2. This notification shall come into force with effect from the 10th day of October, 2024.

[F. No. 190354/149/2024-TO(TRU-II) – Part-I CBEC]

DILMIL SINGH SOACH, Under Secy.

Note: - The principal notification no. 9/2017 -Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 684 (E), dated the 28th June, 2017 and last amended vide notification no. 04/2024 -Integrated Tax (Rate), dated the 12th July, 2024 published in the official gazette vide number G.S.R. 389(E), dated the 12th July, 2024.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 2024

संख्या 09/2024-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 623(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 उप- धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 13/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 692 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप- खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

1. उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 5कक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, कॉलम (2), (3) और (4) में निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)
“5कख	आवासीय आवास के अलावा किसी भी संपत्ति को किराये पर देने के माध्यम से सेवाएं।	कोई भी अपंजीकृत व्यक्ति	कोई भी पंजीकृत व्यक्ति .”

2. यह अधिसूचना दिनांक 10 अक्टूबर, 2024 से लागू होगी।

[फा. सं. 190354/149/2024-टीओ (टीआरयू-II) पार्ट-I सीबीईसी]

दिलमिल सिंह सोच, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 13/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 692 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 14/2023-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 19 अक्टूबर, 2023, जिसे सा.का.नि. 756 (अ), दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th October, 2024

No. 09/2024- Central Tax (Rate)

G.S.R. 623(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), number 13/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 692(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

1. In the said notification, in the Table, after serial number 5AA and the entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto in columns (2), (3) and (4) shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
“5AB	Service by way of renting of any property other than residential dwelling.	Any unregistered person	Any registered person.”

2. This notification shall come into force with effect from the 10th day of October, 2024.

[F. No. 190354/149/2024-TO(TRU-II) – Part-I CBEC]

DILMIL SINGH SOACH, Under Secy.

Note: - The principal notification number 13/2017 -Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 692 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended *vide* notification number 14/2023 -Central Tax (Rate), dated the 19th October, 2023 published in the Gazette of India *vide* number G.S.R. 765(E), dated the 19th October, 2023.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 2024

संख्या 09/2024-संघ राज्य कर (दर)

सा.का.नि. 624(अ).— संघ राज्य माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उप धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 13/2017-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 704 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

1. उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 5कक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, कॉलम (2), (3) और (4) में निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)
“5कख	आवासीय आवास के अलावा किसी भी संपत्ति को किराये पर देने के माध्यम से सेवाएं।	कोई भी अपंजीकृत व्यक्ति	कोई भी पंजीकृत व्यक्ति .”

2. यह अधिसूचना दिनांक 10 अक्टूबर, 2024 से लागू होगी।

[फा. सं. 190354/149/2024-टीओ (टीआरयू-II) पार्ट-I सीबीईसी]

दिलमिल सिंह सोच, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 13/2017-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, को सा.का.नि. 704 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 14/2023-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 19 अक्टूबर, 2023, सा.का.नि. 767 (अ), दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 के तहत सरकारी राजपत्र में प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th October, 2024

No. 09/2024- Union Territory Tax (Rate)

G.S.R. 624(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 7 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.13/2017-Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 704(E), dated the 28th June, 2017, namely: -

1. In the said notification, in the Table, after serial number 5AA and the entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto in columns (2), (3) and (4) shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
“5AB	Service by way of renting of any property other than residential dwelling.	Any unregistered person	Any registered person.”

2. This notification shall come into force with effect from the 10th day of October, 2024.

[F. No. 190354/149/2024-TO(TRU-II) – Part-I CBEC]

DILMIL SINGH SOACH, Under Secy.

Note: - The principal notification no. 13/2017 -Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) , vide number G.S.R. 704 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended vide notification no. 14/2023 -Union Territory Tax (Rate), dated the 19th October, 2023 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II , Section 3 , Sub-section (i) vide number G.S.R. 767(E), dated the 19th October, 2023.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 2024

संख्या 09/2024-एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 625(अ).— एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद् की सिफारिशों के आधार पर एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 10/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 685 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

1. उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 6कक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, कॉलम (2), (3) और (4) में निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)
“6कख	आवासीय आवास के अलावा किसी भी संपत्ति को किराये पर देने के माध्यम से सेवाएं।	कोई भी अपंजीकृत व्यक्ति	कोई भी पंजीकृत व्यक्ति .”

2. यह अधिसूचना दिनांक 10 अक्टूबर, 2024 से लागू होगी।

[फा. सं. 190354/149/2024-टीओ (टीआरयू-II) पार्ट-I सीबीईसी]

दिलमिल सिंह सोच, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 10/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, को सा.का.नि. 685 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 14/2023-एकीकृत कर (दर), दिनांक 19 अक्टूबर, 2023, सा.का.नि. 766 (अ), दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 के तहत सरकारी राजपत्र में प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th October, 2024

No. 09/2024-Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 625(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.10/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 685(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

1. In the said notification, in the Table, after serial number 6AA and the entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto in columns (2), (3) and (4) shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
“6AB	Service by way of renting of any property other than residential dwelling.	Any unregistered person	Any registered person.”

2. This notification shall come into force with effect from the 10th October, 2024.

[F. No. 190354/149/2024-TO(TRU-II) – Part-I CBEC]

DILMIL SINGH SOACH, Under Secy.

Note: - The principal notification no. 10/2017 -Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 685 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended vide notification no. 14/2023 -Integrated Tax (Rate), dated the 19th October, 2023 published in the official gazette vide number G.S.R. 766(E), dated the 19th October, 2023.